

विचार बिन्दु

अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। –महाभारत

1 1 रुपये की चीज़, 3 2 5 रुपये की वसूली!

बीमारी की मजबूरी में मरीज की जेब पर डाका, एमआरपी की आड़ में मनमानी और स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल कल्पना कीजिए, अस्पताल में भर्ती आपका अपना कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो। आप उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हों, तभी बिल में 11 रुपये में खरीदे गए आईवी सेट की कीमत 325 रुपये दिखाई दे। आप सवाल भी क्या करें? मरीज की जान बचाना प्राथमिकता है या बिल पर बहस करना? यही वह मजबूरी है, जिसका फायदा उठाकर इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी कीमतें वसूलने की शिकायतें सामने आती हैं। मुंबई के एक मामले में चिकित्सा सामग्री की खरीद कीमत और मरीज से वसूली गई राशि के बीच सामने आया भारी अंतर केवल आर्थिक सवाल नहीं उठाता, बल्कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता और जवाबदेही को भी कठघरे में खड़ा करता है। आखिर एमआरपी की मुहर लग जाने से कोई कीमत उचित कैसे हो जाती है? क्या बीमारी की विवशता मुनाफा कमाने का अवसर बननी चाहिए?

स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और दवाइयों उसकी रक्षा का साधन। लेकिन आज दवा और इलाज का खर्च आम आदमी के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। बीमारी की घबराहट में मरीज और उसके परिजन अस्पताल या दवा विक्रेता द्वारा बताए गए दाम पर भरोसा कर लेते हैं। उन्हें अक्सर पता ही नहीं चलता कि जिस दवा या चिकित्सा सामग्री के लिए वे भुगतान कर रहे हैं, उसकी वास्तविक खरीद कीमत कितनी है। अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी के नाम पर होने वाली मनमानी नहीं स्थिति का लाभ उठाती है। जिस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ता को अनुचित वसूली से बचाना था, वही कई मामलों में अत्यधिक कीमत वसूलने का माध्यम बनती दिखाई देती है।

मुंबई में सड़क दुर्घटना के एक घायल व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन दिन बाद मिले 43,300 रुपये के बिल में आईवी सेट के 325 रुपये, सिरिज के 57 रुपये और नेब्युलाइजर मास्क के 715 रुपये दर्ज थे। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जाँच के अनुसार, अस्पताल ने यही आईवी सेट 11.05 रुपये, सिरिज 6.75 रुपये और मास्क लगभग 40 रुपये में खरीदा था। इन ऑफ़डॉक के अनुसार, आईवी सेट की विक्री कीमत खरीद कीमत से लगभग 29 गुना थी। हालाँकि खरीद मूल्य और विक्री मूल्य का अंतर अपने आप में शुद्ध मुनाफा नहीं होता, फिर भी इतना बड़ा अंतर मूल्य निर्धारण और बिलिंग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। घायल मरीज की विवशता में चिकित्सा सामग्री की कीमतों का ऐसा अंतर किसी भी संवेदनशील समाज को चिंतित करने के लिए पर्याप्त है।

एमआरपी वह अधिकतम खुदरा मूल्य है, जिससे अधिक कीमत पर पैक की गई वस्तु नहीं बेची जा सकती। इसमें लागू कर शामिल होते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि एमआरपी का अधिकतम मूल्य होना और उसका उचित मूल्य होना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि निर्माता किसी वस्तु की एमआरपी बहुत ऊँची निर्धारित करता है, तो केवल पैकेट पर मूल्य छप जाने से उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं हो जाती। सवाल यह है कि कीमत तय करने का आधार क्या है और उसकी निगरानी कौन करता है?

भारत में आवश्यक दवाओं की कीमतों को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 तथा संबंधित नियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन सभी दवाएँ, चिकित्सा उपकरण और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली उपभोज्य सामग्री एक समान मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं आती। सिरिज, आईवी सेट, कैनुला और मास्क जैसे वस्तुओं के मामले में नियमानु की सीमाएँ तथा मूल्य निर्धारण की व्यवस्था विशेष ध्यान की माँग करती हैं। इस अंतर का लाभ उठाकर अत्यधिक कीमतें वसूलने की आशंका को दूर करना आवश्यक है।

अस्पतालों में इस समस्या का पहला कारण एमआरपी और खरीद मूल्य के बीच बड़ा अंतर है। निर्माता,

इस समस्या का समाधान केवल

अस्पतालों को दोष देने से नहीं होगा।

निर्माता कंपनियों को मूल्य निर्धारण में

पारदर्शिता अपनानी चाहिए, अस्पतालों

को उचित बिलिंग सुनिश्चित करनी चाहिए

और सरकार को नियामक व्यवस्था की

कमियों को दूर करना चाहिए। चिकित्सा

उपकरणों तथा उपभोज्य सामग्री के लिए

आवश्यकतानुसार मूल्य नियंत्रण या ट्रेड

मार्जिन की सीमा निर्धारित करने पर

विचार किया जाना चाहिए।

प्रोसीजर चार्ज, कंज्यूमेबल चार्ज या अन्य सामूहिक मर्दों के अंतर्गत खर्च जोड़ दिया जाता है। इससे मरीज के परिवार के लिए यह जानना कठिन हो जाता है कि किस वस्तु पर कितना पैसा खर्च हुआ। अस्पतालों में प्रत्येक वस्तु का नाम, मात्रा, प्रति इकाई मूल्य और कुल राशि स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए। जहाँ पैक की गई वस्तु पर एमआरपी लागू होती है, वहाँ उसकी जानकारी भी बिल में दी जानी चाहिए। पारदर्शी बिलिंग से मरीज अपने खर्च की जाँच कर सकेगा और अनुचित वसूली की शिकायत भी कर सकेगा।

ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं के बीच कीमतों का अंतर भी चिंता का विषय है। एक ही औषधीय घटक वाली दवाएँ अलग-अलग ब्रांड नामों से अलग कीमतों पर उपलब्ध हो सकती हैं। कीमत में अंतर के पीछे निर्माण, गुणवत्ता, अनुसंधान और वितरण जैसे कारक हो सकते हैं, लेकिन हर अंतर को स्वतः उचित नहीं माना जा सकता। मरीज को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसकी निर्धारित दवा का कोई समान गुणवत्ता वाला किफायती विकल्प उपलब्ध है या नहीं। चिकित्सकों को भी जहाँ चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त हो, जेनरिक विकल्पों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। साथ ही, दवा कंपनियों और चिकित्सकों के बीच किसी भी प्रकार के अनैतिक आर्थिक प्रलोभन पर प्रभावी निगरानी आवश्यक है। मरीज की सुरक्षा और उपचार की प्रभावशीलता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

इस व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभावशाली और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है। भारत में इलाज का बड़ा हिस्सा लोग अपनी जेब से चुकाते हैं। अचानक अस्पताल में भर्ती होने या लंबे समय तक चलने वाले उपचार का खर्च परिवार की बचत समाप्त कर सकता है और उसे कई लेने के लिए विवश कर सकता है। यद्यपि, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसे बीमारियों में नियमित दवाओं का खर्च भी लगातार बना रहता है। जब दवाएँ महँगी होती हैं, तो कुछ मरीज खुराक कम करने या उपचार बीच में छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। इसका परिणाम बीमारी के बढ़ने और आगे चलकर अधिक खर्च के रूप में सामने आ सकता है।

इस समस्या का समाधान केवल अस्पतालों को दोष देने से नहीं होगा। निर्माता कंपनियों को मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता अपनानी चाहिए, अस्पतालों को उचित बिलिंग सुनिश्चित करनी चाहिए और सरकार को नियामक व्यवस्था की कमियों को दूर करना चाहिए। चिकित्सा उपकरणों तथा उपभोज्य सामग्री के लिए आवश्यकतानुसार मूल्य नियंत्रण या ट्रेड मार्जिन की सीमा निर्धारित करने पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसी सीमा तय करते समय उत्पादन लागत, गुणवत्ता, आपूर्ति और उचित व्यावसायिक लाभ का भी ध्यान रखा जाए, ताकि मरीज को राहत मिले और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित न हो।

सरकार को अस्पतालों के बिलों की जाँच, अनुचित वसूली पर दंड और मरीजों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से सस्ती जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के साथ उनकी नियमित आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को विस्तृत बिल माँगना चाहिए, दवा के औषधीय घटक और एमआरपी की जानकारी लेनी चाहिए तथा अधिक वसूली होने पर संबंधित नियामक प्राधिकरण या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत करनी चाहिए।

दवा कोई विलासिता की वस्तु नहीं, जीवन की आवश्यकता है। उचित व्यावसायिक लाभ किसी भी उद्योग का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन बीमारी और मरीज की विवशता को अत्यधिक मुनाफा कमाने का अवसर नहीं बनाया जा सकता।जब 11 रुपये में खरीदे गए आईवी सेट के लिए 325 रुपये वसूले जाते हैं, तो यह केवल कीमत का अंतर नहीं, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल है। एमआरपी का उद्देश्य उपभोक्ता की रक्षा करना है, न कि मनमानी कीमतों को वैधता देना। सरकार की सख्ती, उद्योग की नैतिकता, अस्पतालों की जवाबदेही और जनता की जागरूकता के समन्वय से ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इलाज को सेवा और मानवीय दायित्व से जोड़कर रखना ही एक न्यायपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की पहचान है।

–अतिथि सम्पादक,

प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया,

पूर्व विभागाध्यक्ष (मुद्रा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक,

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

राशिफल

गुरुवार 22 अक्टूबर, 2026

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत–2083, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:49 तक, वृद्धि योग रात्रि 11:40 तक, विष्टि करण दिन 2:49 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य–तुला, चन्द्रमा–कुम्भ, मंगल–कर्क, बुध–तुला, गुरू–कर्क, शुक्र–तुला, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज भद्रा दिन 2:49 तक है। आज पापां कुशा एकादशी व्रत, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– शुभ सूर्योदय से 7:58 तक, १०:47 से 12:11 तक, लाभ–अमृत 12:11 से 3:00 तक, शुभ 4:24 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 1:30 से 3:00 तक, सूर्योदय 6:34, सूर्यास्त 5:49

संपादकीय

खाली क्लास, फ़र्जी हाज़िरी और अव्वल छात्र : क्या यहीं है शिक्षा का भविष्य?



प्रोफ़ेसर अशोक कुमार

उच्च शिक्षा में खाली कक्षाएँ, फ़र्जी हाज़िरी और अव्वल छात्र का यह प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किए गए चौंस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के सबसे संवेदनशील और व्यावहारिक पहलू को उजागर करता है।

क्रेडिट प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि 1 क्रेडिट आम तौर पर 15 घंटे के व्याख्यान या 30 घंटे के व्यावहारिक कार्य के बराबर होता है। जब छात्र इन निर्धारित घंटों में मौजूद ही नहीं रहता, फिर भी संस्थान द्वारा उसे क्रेडिट और 75 प्रतिशत उपस्थिति दोनों सत्यापित करके दे दी जाती हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रणालीगत विफलता और नैतिक पतन को दर्शाता है। आज की उच्च शिक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े अंतर्विरोध पर सीधा प्रहार करती है। जब नियम बनाने और लागू करने वाले ही नियमों को कागज़ों पर तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार की 'नैतिकता' का भाव केवल खोखला उपदेश बनकर रह जाती है।

छात्र उपदेशों से नहीं, बल्कि संस्थागत आचरण और व्यवस्था के व्यवहार से सीखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिए! जब एक छात्र यह देखता है कि बिना कक्षा में आए भी उपस्थिति 75 प्रतिशत दर्ज हो जाती है और उसे इसके लिए अंक भी मिल जाते हैं, तो वह अनौपचारिक रूप से यह सीख जाता है कि व्यवस्था में ईमानदारी से ज्यादा अहमियत 'जुगाड़' और 'कागजी औपचारिकता' की है। यह केवल उपस्थिति का संकेत नहीं, बल्कि मूल्य प्रणाली का पतन है। जब हम स्वयं कक्षा में न आने वाले छात्र को उपस्थित दर्शाएँ तब हम छात्र को क्या नैतिकता सिखाएँगे?

इस विरोधाभास के मुख्य जिम्मेदार पक्ष और व्यवस्थागत कारक निम्नलिखित हैं:–

परीक्षा प्रणाली की सतही बनावट: जब क्लास में कभी न आने वाला छात्र टॉप कर जाता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि हमारी मूल्यांकन प्रणाली सीखने पर नहीं, बल्कि रटने और परीक्षा रणनीति पर टिकी है। जब बिना क्लास आए केवल गाइड्स, पुराने प्रश्नपत्रों या कोचिंग नोट्स से अव्वल आया जा सकता है, तो छात्र कक्षा में बैठकर अपना समय क्यों व्यतीत करेगा?

संस्थान और प्रबंधन की जवाबदेही: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर परिणाम, मान्यता रैंकिंग और वित्तीय निर्भरता (छात्रों की घटती संख्या से होने वाला आर्थिक नुकसान) का भारी दबाव रहता है। यदि छात्रों को कम उपस्थिति के कारण रोका जाए, तो प्रवेश दर और राजस्व प्रभावित होने का डर रहता है। इसलिए शीर्ष प्रबंधन अक्सर आंतरिक रूप से फर्जी

उपस्थिति को नजरअंदाज करने का मौन निर्देश देता है।

शिक्षकों की लाचारी और भूमिका: शिक्षक इस सत्यापन पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम कड़ी होते हैं। कई बार शिक्षक मूल्यांकन और उपस्थिति को सख्ती से लागू करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक दबाव, छात्र संघों के विरोध या नौकरी के असुरक्षित माहौल (विशेषकर एड–हॉक या गेस्ट फैकल्टी के मामले में) के चलते वे फर्जी लॉग पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जहाँ शिक्षक स्वतंत्र हैं, वहाँ भी कार्यभार और उदासीनता के कारण इसे एक कागजी रस्म मान लिया जाता है।

संस्कृति और नैतिकता का क्षरण: जब कोई शैक्षणिक संस्थान छात्र की अनुपस्थिति को वैध घोषित करता है, तो वह अनौपचारिक रूप से छात्र को यह सिखाता है कि: नियमों की कोई वास्तविक बाध्यता नहीं है, केवल औपचारिकता पूरी दिखनी चाहिए। झूठ और समझौते के माध्यम से प्रमाण पत्र या डिग्री हासिल करना स्वीकार्य है। सत्यमेव जयते और अकादमिक ईमानदारी केवल किताबी तक सीमित है, व्यावहारिक दुनिया में "सिस्टम को चकमा देना" ही सफलता है।

अभिभावक और सामाजिक दबाव: समाज और अभिभावक अक्सर केवल डिग्री और अंकों को महत्व देते हैं, वास्तविक ज्ञान और अनुशासन को नहीं। छात्रों को यह संदेश मिलता है कि साधन कोई भी हो, केवल साध्य (अच्छे अंक और डिग्री) मायने रखता है।

इस समस्या का समाधान कैसे

वन्यजीव संरक्षण की चुनौती : वैश्विक स्तर पर 7 3 प्रतिशत गिरावट, भारत में बाघों की बढ़ती संख्या उम्मीद की किरण

पशुचिकित्सकों की भूमिका घायल वन्यजीवों के उपचार तक सीमित नहीं, रोग निगरानी और फॉरेंसिक जांच में भी अहम योगदान



हेमन्त जोशी

प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में वन्यजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जंगल, नदियाँ, पहाड़ और वनस्पतियाँ केवल प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के आधार हैं। बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी जीव खाद्य शृंखला को संतुलित रखने में योगदान देते हैं, वहीं गिद्ध मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। पक्षी और अनेक स्तनधारी जीव बीजों के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद वर्गों का विनाश, अवैध शिकार, प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएँ और जलवायु परिवर्तन वन्यजीवों के अस्तित्व के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर वन्यजीव आबादियों में गिरावट : विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की 7 अक्टूबर 2026 को जारी लिंविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1970 से 2022 के बीच निगरानी की गई वन्यजीव आबादियों के औसत आकार में 73 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। यह आकलन 5,790 कशेरुकी प्रजातियों की 35,803 आबादी संबंधी

प्रवृत्तियों पर आधारित है। मोटे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में 85 प्रतिशत, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 69 प्रतिशत और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 59 प्रतिशत गिरावट सामने आई। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि

73 प्रतिशत का अर्थ पृथ्वी के कुल वन्यजीवों का इतना प्रतिशत समाप्त होना नहीं है। यह निगरानी की गई आबादियों के औसत आकार में आई गिरावट का संकेतक है। ये ऑफ़सेट जैव विविधता संरक्षण के लिए गंभीर और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता के लिएंकित करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट प्लेनेट रिपोर्ट 2026 में बाघ संरक्षण में भारत की उपलब्धि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत में बाघ संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार, देश में बाघों की अनुमानित संख्या वर्ष 2006 में 1,411 थी, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 2,967 और वर्ष 2022 में 3,682 हो गई है।

राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का जैसे बाघ संरक्षण क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि बाघों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके प्राकृतिक आवास, शिकार प्रजातियाँ, वन्यजीव गलियारों और सुरक्षित आवागमन मार्गों का संरक्षण भी जरूरी है। केवल संख्या बढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वन्यजीवों के लिए सुरक्षित और अनुकूल पर्यावास बनाए रखना भी आवश्यक है।

राजस्थान की जैव विविधता और संरक्षण की जरूरत : राजस्थान में बाघ, तेंदुआ, भालू, चिंकारा, कृष्णमृग, मर

लोमड़ी और गोडावन जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अरावली क्षेत्र में तेंदुओं के आवास, पश्चिमी राजस्थान में गोडावन का संरक्षण और दक्षिणी राजस्थान में मानव वन्यजीव संघर्ष बढना विशेष ध्यान देने योग्य विषय है।

सड़क, रेलमार्ग, खनन और अन्य विकास कार्य कई बार वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन को प्रभावित करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर वन्यजीव गलियारों, सुरक्षित अंतरास और अन्य संरचनाओं का विकास किया जाना चाहिए। वन्यजीव योजनाओं में पर्यावरणीय संकलन को प्राथमिकता देना दीर्घकालीन संरक्षण के लिए आवश्यक है। मानव वन्यजीव संघर्ष का समाधान जरूरी : वन क्षेत्रों के आसपास मानवीय गतिविधियों का विस्तार, प्राकृतिक आवासों का विखंडन और भोजन-पानी की उपलब्धता में बदलाव वन्यजीवों को मानव बस्तियों के निकट ला सकते हैं। ऐसी घटनाओं में मनुष्यों के साथ वन्यजीव भी घायल होते हैं और कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है।

इस समस्या का समाधान केवल वन्यजीवों को पकड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक आवास प्रबंधन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पशुधन की सुरक्षा, समय पर सूचना तंत्र और प्रशिक्षित बचाव दल इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। यदि कोई वन्यजीव आबादी क्षेत्र में दिखाई दे, तो लोगों को उसे घेरने, पत्थर मारने, भीड़ जुटाने या स्वयं पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वन विभाग को तत्काल सूचना देना और

संभव है?

क्रेडिट को केवल समय से नहीं, परिणाम से जोड़ना: अंतरराष्ट्रीय मॉडलों की तरह, उपस्थिति के भौतिक घंटों के बजाय क्रेडिट का आवंटन निरंतर और पारदर्शी मूल्यांकन (असाइनमेंट, शोध प्रोजेक्ट, सेमिनार और वास्तविक परीक्षा प्रदर्शन) पर आधारित होना चाहिए। यदि छात्र कक्षा में नहीं आया, तो वह इन निरंतर मूल्यांकनों को पास न कर पाए।

सत्यापन का स्वतंत्र ऑडिट: आंतरिक सत्यापन के बजाय बाहरी अकादमिक ऑडिट या रैंडम सैप्लिंग लागू होनी चाहिए, ताकि फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले संस्थानों और अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सके।

उपस्थिति अनिवार्यता पर व्यावहारिक रुख: यदि कक्षाएँ छात्रों को मूल्यवान ज्ञान नहीं दे पा रही हैं, तो या तो पाठ्यक्रम और शिक्षण गुणवत्ता को बदला जाए! यदि कोई छात्र स्व-अध्ययन या ऑनलाइन माध्यम से विषय में पारंगत है, तो 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति के ढकोसले के बजाय उसे क्रेडिट–बाय–एजाम या ओपन/डिस्टेंस मोड से क्रेडिट अर्जित करने की स्पष्ट छूट मिले।

हाज़िरी के पाखंड की समाप्ति:जब तक नियम मौजूद है, उसका पालन सख्ती से हो, अथवा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपस्थिति को परीक्षा की पूर्व–शर्त से हटाकर केवल अकादमिक प्रदर्शन पर केंद्रित किया जाए।

नियमों की स्पष्टता या तो कठोरता, या समाप्ति:यदि 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम केवल फर्जीबाड़े को बढ़ावा दे रहा है, तो उस पर पुनर्विचार

आवश्यक है। या तो उपस्थिति को परीक्षा में बैठने की अनिवार्य शर्त से पूरी तरह मुक्त किया जाए (जैसा कि कई वैश्विक विश्वविद्यालयों में है, जहाँ मूल्यांकन केवल समझ, असाइनमेंट और परीक्षा पर आधारित होता है), अथवा यदि नियम है तो उसे बिना किसी दबाव या समझौते के सख्ती से लागू किया जाए।

पारदर्शिता और डिजिटलीकरण: रजिस्टर में कलम से लगने वाली फर्जी हाज़िरी को रोकने के लिए कई जगह बायोमेट्रिक या रियल–टाइम डिजिटल टैकिंग का प्रयोग शुरू हुआ है, लेकिन जब तक प्रशासनिक इच्छाशक्ति नहीं होगी, तकनीक भी बेअसर साबित होगी। सिस्टम को ऐसा पारदर्शी बनाना होगा जहाँ किसी शिक्षक या प्रशासक पर फर्जी हस्ताक्षर करने का दबाव न बने।

शिक्षकों की जवाबदेही और स्वतंत्रता: शिक्षकों पर अक्सर संस्थान के नतीजों, प्रवेश संख्या और प्रबंधन के दबाव के कारण छात्रों को 'पास' कराने और हाज़िरी पूरी दिखाने की मजबूरी लाद दी जाती है। इस प्रशासनिक पाखंड को खत्म करना होगा ताकि शिक्षक बिना किसी डर के निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकें।

संस्कृति और नैतिकता केवल दीवारों पर लिखे नारों से नहीं आती; वे व्यवस्था की सच्चाई और न्यायप्रियता से आती हैं। जब तक कागजी खानापूति बंद नहीं होगी, तब तक छात्रों से ईमानदारी की उम्मीद करना एक भ्रम ही रहेगा।

–प्रोफेसर अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति कानपुर,

गोरखपुर विश्वविद्यालय

प्राथमिक उपचार, सुरक्षित बचाव, जैविक नमूनों के संग्रहण और अपराध स्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी तरह पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को वन्यजीवचिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान और संरक्षण अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना समय की माँग है। वन्यजीव संरक्षण केवल सरकार, वन विभाग या वैज्ञानिक संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है। स्थानीय समुदायों, विद्यार्थियों, किसानों और आम नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। प्राकृतिक आवासों की रक्षा, अवैध शिकार की सूचना देना, प्लास्टिक प्रदूषण कम करना और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाना हर नागरिक का दायित्व है। भारत में बाघ संरक्षण की उपलब्धियाँ बताती हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रभावी नीतियों और सामूहिक प्रयास से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर वन्यजीव आबादियों में गिरावट हमें सचेत करती है कि संरक्षण के प्रयासों को और व्यापक बनाने की जरूरत है। वन्यजीव संरक्षण का उद्देश्य केवल प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें मनुष्य और वन्यजीव सहअस्तित्व के साथ रह सकें। जंगल केवल वन्यजीवों का घर नहीं, बल्कि पृथ्वी के जीवन तंत्र का आधार है।

—डॉ. हेमन्त जोशी,

सहायक आचार्य, पशु चिकित्सा

शरीर रचना विभाग,

पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान

महाविद्यालय, नवागनिया, उदयपुर

मेड़तासिटी में दो दिवसीय मीरा जयंती उत्सव की तैयारियां

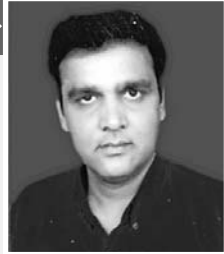
मेड़तासिटी। भक्त शिरोमणि मीराबाई के जीवन–दर्शन और उनकी भक्ति–साधना को समाहित विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन देश–विदेश में प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक आयोजित किए जाते हैं। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष भी मीराबाई की जन्मस्थली मेड़तासिटी और उनकी ससुराल चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य आयोजनों की

तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी गई हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर मीराबाई की ससुराल चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष तीन दिवसीय मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह महोत्सव 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा। मीरा स्मृति संस्थान के संरक्षक सत्यनारायण समदानी ने बताया कि इस बार महोत्सव में गुजरात का प्रसिद्ध

गरबा, राजस्थान का पारंपरिक घूमर और मेवाड़ी लोक नृत्यों के साथ–साथ प्रख्यात कलाकारों द्वारा मनमोहक मीरा भजनों की प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी, जो दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगी। वहीं दूसरी ओर, माँ मीरा की पावन जन्मस्थली मेड़तासिटी में 26 व 27 अक्टूबर को दो दिवसीय भव्य मीरा जयंती उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी एवं उपखंड

स्तरीय पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि इस दो दिवसीय उत्सव में देश के विभिन्न प्रांतों से आए ख्यातिप्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। उत्सव के दौरान मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों में गाल्लियर (मध्यप्रदेश) के डॉ. संजय कुमार सिंह के सुमधुर भजन, भोपाल (मध्यप्रदेश) की डॉ. श्यामा पंडित एवं दल द्वारा कथक बैले

तथा गोवर्धन–मथुरा (उत्तरप्रदेश) के ब्रजगोपाल कौशिक एवं साधियों द्वारा सुप्रसिद्ध मयूर लोक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही नई दिल्ली के प्रख्यात भजन गायक भूपेंद्र मल्होत्रा द्वारा मीरा पदों का गायन एवं वाहनगर (गुजरात) के नितिन देवे व दल द्वारा पारंपरिक गरबा का आयोजन होगा। , डांडिया व बेड़ा रास प्रस्तुत किया जाएगा।



पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति– सूर्य–तुला, चन्द्रमा–कुम्भ, मंगल–कर्क, बुध–तुला, गुरू–कर्क, शुक्र–तुला, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज भद्रा दिन 2:49 तक है। आज पापां कुशा एकादशी व्रत, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया